भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3891

25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती में लगे किसान

3891. श्री शंकर लालवानी:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधीय पौधों की खेती में कार्यरत किसानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार औषधीय पौधों की खेती के लिए राजसहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या किसानों को औषधीय पौधों की खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत देश भर में औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। संबंधित राज्य के लिए अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार संबंधित राज्य की अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खेती विषयक कार्यकलापों को कार्यान्वित किया गया था। आयुष मंत्रालय ने अब तक औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक **59,350** किसानों को सहयोग प्रदान किया है और पूरे देश में 56,305 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है। किसानों और खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-I और II** में दिया गया है।

(ख)**:** जी हां। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के तहत**,** आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में औषधीय पौधों की खेती के लिए सब्सिडी प्रदान की है।

(ग)**:** आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में औषधीय पादपों की खेती के तहत 6305.24 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राज्य-वार समर्थित निधि का ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ)**:** जी नहीं। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत **'**औषधीय पादप**'** घटक के फ्लेक्सी घटक के तहत किसानों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों**,** सेमिनारों/कार्यशालाओं/क्रेता-विक्रेता बैठक/खेती पद्धति पर अनुभव दौरे के लिए सहयोग करने का प्रावधान था। अब तक**,** आयुष मंत्रालय ने संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को 19061 किसानों

के लिए 235 संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / क्रेता-विक्रेता बैठक / अनुभव दौरों और प्रशिक्षण के लिए सहयोग प्रदान किया है। फ्लेक्सी घटक के तहत समर्थित कार्यकलापों का ब्यौरा **संलग्नक-IV** और **V** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसएस) के तहत सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) नीति के माध्यम से जागरूकता निर्माण कार्यक्रम, अनुभव दौरों, शिक्षा और हितधारकों के कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ।

(ड.): लागू नहीं।

*****

संलग्नक-I

आयुष मंत्रालय की "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक समर्थित किसानों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	किसानों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12859
2	अरुणाचल प्रदेश	72
3	असम	-
4	बिहार	-
5	छत्तीसगढ़	-
6	गोवा	12
7	गुजरात	2659
8	हरियाणा	100
9	हिमाचल प्रदेश	425
10	जम्मू-कश्मीर	41
11	कर्नाटक	1948
12	केरल	801
13	मध्य प्रदेश	11716
14	महाराष्ट्र	2917
15	मणिपुर	1512
16	मेघालय	24
17	मिजोरम	506
18	नागालैंड	577
19	ओडिशा	1636
20	पुडुचेरी	-
21	पंजाब	45
22	राजस्थान	1683
23	सिक्किम	194
24	तमिलनाडु	7734
25	तेलंगाना	2102
26	त्रिपुरा	438
27	उत्तराखंड	1819
28	उत्तर प्रदेश	6381
29	पश्चिम बंगाल	1149
	कुल	**59350**

टिप्पणी: संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(-) आशय - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

संलग्नक-II

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक समर्थित क्षेत्र

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	447	1160	897	508	1338	-	**4350**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	142	71	9	44	98	**364**
3	असम	-	261	225	138	-	-	**624**
4	बिहार	-	-	-	-	175	-	**175**
5	छत्तीसगढ़	-	220	72	108	-	-	**400**
6	गोवा	-	23	30	30	30	-	**113**
7	गुजरात	141	192	85	518	-	-	**936**
8	हरियाणा	175	245	-	-	-	-	**420**
9	हिमाचल प्रदेश	39	120	7	-	70	-	**236**
10	जम्मू-कश्मीर	9	34	21	24	28	25	**141**
11	कर्नाटक	529	706	769	469	353	1100	**3926**
12	केरल	258	535	736	410	-	330	**2269**
13	मध्य प्रदेश	1681	2518	2030	1262	790	4270	**12551**
14	महाराष्ट्र	327	-	444	-	520	-	**1290**
15	मणिपुर	142	242	142	60	30	-	**616**
16	मेघालय	-	48	22	-	108	-	**178**
17	मिजोरम	59	27	65	187	6	29	**373**
18	नागालैंड	51	138	250	103	-	210	**752**
19	ओडिशा	-	488	-	378	-	-	**866**
20	पुडुचेरी	-	43	-	2	5	-	**50**
21	पंजाब	-	242	-	16	340	-	**598**
22	राजस्थान	330	1163	1341	519	760	-	**4113**
23	सिक्किम	63	32	84	-	-	58	**237**
24	तमिलनाडु	633	960	673	765	900	-	**3931**
25	तेलंगाना	345	294	457	237	341	-	**1674**
26	त्रिपुरा	45	-	-	211	-	-	**256**
27	उत्तराखंड	153	148	183	110	208	-	**802**
28	उत्तर प्रदेश	3188	1898	1345	3633	-	2236	**12300**
29	पश्चिम बंगाल	107	230	417	261	748	-	**1763**
कुल		**8722**	**12109**	**10366**	**9958**	**6794**	**8356**	**56305**

(-) आशय - राज्य को निधियां जारी नहीं की गईं।

संलग्नक-III

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक औषधीय पादपों की खेती के लिए राज्यवार प्रदत्त निधियों का ब्यौरा

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	69.28	220.41	0.00	**289.69**
2	अरुणाचल प्रदेश	9.36	26.26	59.50	**95.12**
3	असम	28.12	0.00	0.00	**28.12**
4	बिहार	0.00	74.49	0.00	**74.49**
5	छत्तीसगढ़	28.11	0.00	0.00	**28.11**
6	गोवा	9.44	9.74	0.00	**19.18**
7	गुजरात	178.67	0.00	0.00	**178.67**
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	54.44	0.00	**54.44**
10	जम्मू - कश्मीर	21.50	18.29	21.54	**61.33**
11	कर्नाटक	86.49	114.67	359.88	**561.04**
12	केरल	115.27	0.00	101.11	**216.38**
13	मध्य प्रदेश	249.36	287.87	853.74	**1390.97**
14	महाराष्ट्र	0.00	285.36	0.00	**285.36**
15	मणिपुर	17.58	15.83	0.00	**33.41**
16	मेघालय	0.00	31.53	0.00	**31.53**
17	मिजोरम	39.64	0.95	10.30	**50.90**
18	नागालैंड	38.04	0.00	75.48	**113.52**
19	ओडिशा	85.06	0.00	0.00	**85.06**
20	पुडुचेरी	0.39	0.78	0.00	**1.18**
21	पंजाब	9.47	66.15	0.00	**75.62**
22	राजस्थान	203.24	327.85	0.00	**531.09**
23	सिक्किम	0.00	0.00	40.99	**40.99**
24	तमिलनाडु	173.09	260.99	0.00	**434.08**
25	तेलंगाना	36.87	65.75	0.00	**102.62**
26	त्रिपुरा	42.90	0.00	0.00	**42.90**
27	उत्तराखंड	55.67	133.60	0.00	**189.26**
28	उत्तर प्रदेश	564.05	0.00	503.01	**1067.06**
29	पश्चिम बंगाल	62.20	160.93	0.00	**223.13**
कुल		**2123.79**	**2155.89**	**2025.56**	**6305.24**

संलग्नक-IV

आयुष मंत्रालय की "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक समर्थित आईईसी गतिविधियों (संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / क्रेता-विक्रेता बैठकों / अनुभव दौरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	2	1	4	5	-	**12**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	-	-	**1**
3	असम	1	1	-	-	-	**2**
4	बिहार	-	-	-	3	-	**3**
5	छत्तीसगढ़	1	1	4	-	-	**6**
6	गोवा	-	-	-	1	-	**1**
7	गुजरात	-	3	6	-	-	**9**
8	हरियाणा	6	-	-	-	-	**6**
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	3	-	**3**
10	जम्मू-कश्मीर	-	-	1	2	1	**4**
11	कर्नाटक	-	3	1	8	2	**14**
12	केरल	3	2	-	-	-	**5**
13	मध्य प्रदेश	3	13	24	12	12	**64**
14	महाराष्ट्र	-	2	-	-	-	**2**
15	मणिपुर	-	1	2	-	-	**3**
16	मेघालय	-	3	-	1	-	**4**
17	मिजोरम	-	1	5	2	2	**10**
18	नागालैंड	1	-	-	-	-	**1**
19	ओडिशा	-	-	3	-	-	**3**
20	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	**0**
21	पंजाब	2	-	3	5	-	**10**
22	राजस्थान	1	6	7	4	-	**18**
23	सिक्किम	-	-	-	-	1	**1**
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	**0**
25	तेलंगाना	4	2	2	4	-	**12**
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	**0**
27	उत्तराखंड	1	1	-	1	-	**3**
28	उत्तर प्रदेश	-	1	17	-	14	**32**
29	पश्चिम बंगाल	-	2	2	2	-	**6**
सकल योग		**25**	**43**	**82**	**53**	**32**	**235**

टिप्पणी: संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

संलग्नक-V

आयुष मंत्रालय की "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के फ्लेक्सी घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक समर्थित किसानों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	-	-	325	60	-	**385**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	150	75	50	-	**275**
3	असम	-	350	-	-	-	**350**
4	बिहार	-	-	-	700	-	**700**
5	छत्तीसगढ़	-	400	200	-	-	**600**
6	गोवा	-	45	25	50	-	**120**
7	गुजरात	-	400	800	-	-	**1200**
8	हरियाणा	75	-	-	-	-	**75**
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	**0**
10	जम्मू-कश्मीर	-	489	518	200	-	**1207**
11	कर्नाटक	-	-	100	225	50	**375**
12	केरल	-	-	100	100	-	**200**
13	मध्य प्रदेश	-	400	440	500	250	**1590**
14	महाराष्ट्र	-	300	-	-	-	**300**
15	मणिपुर	-	250	200	-	-	**450**
16	मेघालय	-	100	-	-	-	**100**
17	मिजोरम	-	200	500	200	200	**1100**
18	नागालैंड	-	-	-	-	-	**0**
19	ओडिशा	-	-	200	-	-	**200**
20	पुडुचेरी	-	-	-	50	-	**50**
21	पंजाब	100	-	150	200	-	**450**
22	राजस्थान	-	850	850	800	-	**2500**
23	सिक्किम	-	-	-	-	-	**0**
24	तमिलनाडु	-	-	-	250	-	**250**
25	तेलंगाना	875	-	-	360	-	**1235**
26	त्रिपुरा	-	-	249	-	-	**249**
27	उत्तराखंड	200	150	500	150	-	**1000**
28	उत्तर प्रदेश	-	200	2000	-	1000	**3200**
29	पश्चिम बंगाल	-	300	300	300	-	**900**
सकल योग		**1250**	**4584**	**7532**	**4195**	**1500**	**19061**

टिप्पणी: संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार